(भारत का राजपत्र के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशनार्थ)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी संख्या 165 | नई दिल्ली | 16 अगस्त, 2007

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, फ्लोटिंग क्रेन प्रचालनों के लिए तैनात स्टाफ के लिए समयोपरि प्रभारों की वसूली हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/52/2006–वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ——————— आवेदक

आदेश

(अगस्त, 2007 के 7वें दिन पारित)

यह मामला फ्लोटिंग क्रेन के प्रचालन के लिए तैनात स्टाफ हेतु समयोपरि प्रभारों की वसूली के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 12/18 दिसम्बर, 2006 से संबंधित है।

2. वीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं:

(i). कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए व्यापार के अनुरोध पर फ्लोटिंग क्रेनें किराये पर ली जाती हैं और दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार जरूरी किराया प्रभार वसूल किए जाते हैं।

(ii). मई, 2006 में हुए संशोधन से पहले, संबद्ध कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतनों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की कार्य–समय से अधिक तैनाती के लिए जरूरी समयोपरि प्रभार वास्तविकताओं पर वसूल किए जाते थे।

(iii). इस संबंध में, यह निवेदन है कि सामान्यतः व्यापार के अनुरोध पर कार्य–समय से अधिक रोस्टर्स ऑफ्स और अवकाश–दिवसों में लगभग 10 से 15 घंटे के लिए 20 से अधिक कर्मचारी फ्लोटिंग क्रेनों पर कार्य करने के लिए तैनात किए जाते हैं। प्रति कर्मचारी को देय लगभग समयोपरि रू0 100/– प्रति घंटा है। तदनुसार, वीपीटी को इन कर्मचारियों के लिए लगभग रू0 2000/– प्रति घंटा अदा करना होता है।

(iv). सामान्य संशोधन प्रस्ताव में, वीपीटी ने प्रस्तावित दरमान में समयोपरि प्रभारों के लिए रू0 100 प्रति घंटा अथवा उसका भाग की वसूली, जब कभी स्टाफ को फ्लोटिंग क्रेनों पर कार्य करने के लिए समयोपरि पर तैनात किया जाता है, के लिए एक पृथक नोट शामिल किया था। प्रस्तावित टिप्पणी वीपीटी के संशोधित दरमान अनुमोदित करते समय अनुमोदित की गई थी। तथापि, वीपीटी द्वारा प्रस्तावित टिप्पणी में असावधानीवश 'प्रति कर्मचारी' शब्द का उल्लेख करना रह गया था। परिणामस्वरूप, उपयोक्ताओं से संलग्न कर्मचारियों (अर्थात लगभग 20 कर्मचारी) की संख्या की बजाय रू0 100/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग की दर से समयोपरि प्रभार वसूल किए जाते हैं।

3. वीपीटी ने अपने दरमान में उक्त टिप्पणी को इस प्रकार संशोधित करने का निर्णय लिया है कि जब कभी स्टाफ समयोपरि पर तैनात किया जाता है तो समयोपरि प्रभार रू0 100/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग की दर से वसूल किया जाएगा।

4.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी का प्रस्ताव उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। अनुस्मारक के बावजूद, हमें विशाखापत्तनम सीमाशुल्क क्लियरिंग एजेंट्स असोसिएशन (वीसीसीएए) के अलावा किन्हीं अन्य उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संगठनों से इस प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

4.2. वीसीसीएए से प्राप्त टिप्पणियां वीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। वीपीटी ने वीसीसीएए की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी थीं।

5. वीपीटी को वह प्रशुल्क निर्धारण व्यवस्था स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके अंतर्गत पत्तन इस प्राधिकरण द्वारा जून, 2006 में इसके दरमान के संशोधन से पहले समयोपरि वसूल करता था। प्रत्युत्तर में, वीपीटी ने स्पष्ट किया था कि उसने कार्य–समय से अधिक स्टाफ की तैनाती के लिए समयोपरि प्रभारों के लिए वर्ष 2001 में अनुमोदित दरमान में कोई उपबंध शामिल नहीं किया था क्योंकि पत्तन व्यापार से वास्तविकताओं पर समयोपरि प्रभार वसूल कर रहा था। इसके अलावा, इसने वीसीसीएए की टिप्पणियों पर पहले किए गए निवेदनों को दोहराया था।

6.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 12 जून, 2007 को विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीसीटीपीएल, वीपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे।

6.2. जैसाकि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) को सलाह दी गई थी कि उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव की समीक्षा करे और लागत औचित्य द्वारा समर्थित संशोधित प्रस्ताव दाखिल करें।

6.3. तदनुसार, वीपीटी ने अपने प्रस्ताव की समीक्षा की और संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया। वीपीटी द्वारा किए गए मुख्य निवेदन नीचे सारबद्ध किए गए हैं:

(i). इसने दोहराया है कि फ्लोटिंग क्रेनें केवल 8 घंटे की सामान्य पारी में कार्य करने के लिए परिकल्पित की गई हैं ना कि 24 घंटे आधार पर जैसाकि व्यापार द्वारा दावा किया गया है। उक्त क्रेनों की मूल दर सामान्य पारी के लिए 22 की स्टाफ संख्या पर विचार करते हुए तदनुसार निर्धारित की गई थी।

(ii). लागत तत्वों को दोहराए जाने के संबंध में उठाए गए मुद्दे के संबंध में इस प्रस्ताव की पुनः जाँच की गई है। संशोधित प्रस्ताव में सुविचारित सामान्य मजदूरी दरें और प्रति कर्मचारी समयोपरि दरें नीचे दी गई हैं:

(क). औसत सामान्य मजदूरी जिसमें वेतन, डीए और अन्य भत्ते शामिल हैं, रू0 16,297/– प्रति कर्मचारी है। इस प्रकार, प्रति घंटा मजदूरी दर रू0 67.90 (अर्थात 16297/30 X 8 घंटे) परिगणित होती है।

(ख). सामान्य मानकों से अधिक कार्य करने के लिए दोगुनी दर पर देय समयोपरि भत्ते अर्थात वेतन और डीए है रू0 120.38
घटाएं: मूल दर में पहले से शामिल की गई सामान्य मजदूरी दर रू0 67.90
व्यापार से वसूल किया जाने वाला समयोपरि भत्ता रू0 52.38

(iii). इस संशोधित परिगणना के आधार पर, वीपीटी अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में प्रस्तावित रू0 100/– प्रति कर्मचारी प्रति घंटा के स्थान पर रू0 53/– प्रति घंटा प्रति कर्मचारी वसूल करने के लिए सहमत है। तथापि, फ्लोटिंग क्रेन के किराया प्रभारों में उपर्युक्त समयोपरि प्रभारों को जोड़ने के व्यापार के अनुरोध पर, इसने निम्नलिखित परिगणनाएं भेजी हैं:

वर्ष 2006–07 में क्रेनों के घंटों की कुल औसत संख्या जिसमें समयोपरि शामिल था 257 घंटे
कुल समयोपरि तत्व = रू0 52.38 X 22 X 257 = रू0 2,96,157/–
क्रेन के लिए कुल उपलब्ध कार्य–समय = 240 दिन X 8 घंटे
प्रति क्रेन = 1920 घंटे

इस प्रकार, मूल दर में समयोपरि प्रभारों के लिए शामिल की जाने वाली प्रस्तावित दर = रू0 2,96,157/1920 = रू0 154.24।

(iv). तदनुसार, वर्तमान दरमान में निर्धारित फ्लोटिंग क्रेन का किराया प्रभार रू0 2001 प्रति घंटा अथवा उसका भाग को समयोपरि प्रभार शामिल करने के पश्चात रू0 2155 प्रति घंटा में संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। फ्लोटिंग क्रेन का संशोधित प्रस्तावित किराया प्रभार पर 18 जून, 2007 को व्यापार के साथ चर्चा की गई थी और व्यापार ने इसी पर अपनी सहमति संप्रेषित की थी।

(v). इस परिप्रेक्ष्य में, इसने वर्तमान दरमान की अनुसूची 5.1.1. और 5.1.2. में निर्धारित फ्लोटिंग क्रेनों के किराया प्रभारों में निम्नवत् संशोधन करने का अनुरोध किया है:

(क). **5.1. फ्लोटिंग क्रेन प्रभार**
5.1.1. 150 टन फ्लोटिंग क्रेन

क्र. सं.	पैकेज़ का भार अथवा प्रभार की प्रकृति	इकाई	दर (रूपयों में)	दर (रूपयों में) द्वितीय प्रचालन के लिए
1.	50 टन तक	प्रति घंटा अथवा उसका भाग	रू0 2150/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग परंतु न्यूनतम रू0 4300/–	रू0 1075/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग परंतु न्यूनतम रू0 2150/–

मद सं. 2 से 10 के लिए दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5.1.2. 60 टन फ्लोटिंग क्रेन

क्र. सं.	पैकेज़ का भार अथवा प्रभार की प्रकृति	इकाई	दर (रूपयों में)	दर (रूपयों में) द्वितीय प्रचालन के लिए
1.	50 टन तक	प्रति घंटा अथवा उसका भाग	रू0 2150/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग परंतु न्यूनतम रू0 4300/–	रू0 1075/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग परंतु न्यूनतम रू0 2150/–

(ख). 5.1. फ्लोटिंग क्रेन प्रभारों के क्रम सं. 8 की मौजूदा टिप्पणी हटा दी गई है।

7. इस मामले में विचार–विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः

(i). विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) का प्रस्ताव 5 जून, 2006 का भारत के राजपत्र में अधिसूचित वीपीटी के दरमान के पिछले प्रशुल्क संशोधन में निर्धारित फ्लोटिंग क्रेनों पर समयोपरि प्रभार संबंधी उपबंध में संशोधन के लिए है।

(ii). जून, 2006 में अनुमोदित प्रशुल्क संशोधन से पहले वीपीटी के दरमान में समयोपरि प्रभारों के लिए कोई पृथक प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। पिछले प्रशुल्क संशोधन से पहले, पत्तन द्वारा वास्तविकताओं पर समयोपरि प्रभार वसूल किए जाते थे जैसाकि वीपीटी और उपयोक्ताओं दोनों ने बताया था।

पिछले प्रशुल्क संशोधन में, वीपीटी ने फ्लोटिंग क्रेनों के प्रचालन के लिए समयोपरि पर तैनात स्टाफ के लिए समयोपरि प्रभार शामिल करने का प्रस्ताव किया था। यह प्राधिकरण सामान्यतः पृथक समयोपरि प्रभार निर्धारित किए जाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि पत्तनों से 24 घंटे सेवा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

वीपीटी मामले के प्रशुल्क संशोधन पर कार्यवाही करते समय, प्रस्तावित उपबंध बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के अनुमोदित किया गया था क्योंकि यह कोई महत्वपूर्ण प्रशुल्क मद नहीं थीं और उपयोक्ता संगठनों ने भी समयोपरि प्रभार की वसूली के लिए प्रस्तावित उपबंध के समावेशन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

(iii). पत्तन ने उल्लेख किया है कि वह दरमान में अनुमोदित उपबंध के अनुसार उपयोक्ताओं से वसूल किए गए रू0 100/– प्रति घंटा के स्थान पर कर्मचारी को समयोपरि के लिए रू0 2000/– प्रति घंटा व्यय करता है। अतः इसने समयोपरि प्रभार की वसूली की वर्तमान इकाई को संशोधित कर रू0 100 प्रति घंटा अथवा उसका भाग प्रति कर्मचारी करने का अनुरोध किया है।

प्रस्तावित दर में लागत तत्वों को दोहराए जाने के बारे में किए गए उल्लेख पर, इसने बाद में समीक्षा की और दर को कम कर रू0 53/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग प्रति कर्मचारी किया और समयोपरि प्रभारों को वर्ष 2006–07 में भुगतान किए गए कुल समयोपरि के आंकड़ों और उपलब्ध क्रेन के कार्य–समय के आधार पर फ्लोटिंग क्रेन के मूल किराया प्रभार में जोड़ने का सुझाव भी दिया था।

तदनुसार, संशोधित प्रस्ताव में, 150 टन और 60 टन फ्लोटिंग क्रेन के वर्तमान किराया प्रभारों को समयोपरि प्रभारों में जोड़ने के पश्चात रू0 155/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग करने का प्रस्ताव किया गया है। परिणामस्वरूप, न्यूनतम किराया प्रभार और फ्लोटिंग क्रेनों के द्वितीय प्रचालन के प्रभारों में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

(iv). यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास 24 घंटे कार्य–प्रचालन करता है। इसीलिए, सामान्यतः यह उम्मीद की जाती है कि सेवाएं भी 24 घंटे प्रदान की जाएंगी।

वीपीटी ने स्पष्ट किया है कि फ्लोटिंग क्रेन का कार्य–समय सामान्य पारी के दौरान केवल 8 घंटे है ना कि 24 घंटे। क्रेन को किराये पर लेने की मूल दर केवल सामान्य पारी के लिए तैनात स्टाफ संख्या पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाना बताया गया है।

विशाखापत्तनम सीमाशुल्क क्लियरिंग एजेंट्स असोसिएशन (वीसीसीएए), विशाखापत्तनम स्टीमर एजेंट्स असोसिएशन और विशाखापत्तनम स्टीवडोर्स असोसिएशन सभी का मत है कि तैनात स्टाफ के लिए समयोपरि प्रभार शायद फ्लोटिंग क्रेन के मौजूदा किराया प्रभार में पहले से शामिल है।

संशोधित प्रस्ताव में, पत्तन ने समयोपरि प्रभार से सामान्य मजदूरी की दोगुनी गणना को दूर करने की कोशिश की है। यह उल्लेखनीय है कि कर्मचारी लागत में एलटीसी, चिकित्सा व्यय, पीएफ अंशदान और अन्य संबंधित उपरिव्यय भी शामिल होंगे। तथापि, इन लागत तत्वों को संशोधित प्रस्ताव में समयोपरि प्रभारों से अलग नहीं रखा गया है।

इसके अलावा, फ्लोटिंग क्रेन के मूल किराया प्रभार में पहले से शामिल समयोपरि प्रभारों के बारे में उपयोक्ता असोसिएशनों द्वारा उठाए गए मुद्दे को वीपीटी द्वारा नहीं लिया गया है। मूल दर में इस लागत तत्व की दोगुनी गणना के भ्रम को दूर करने के लिए पत्तन द्वारा फ्लोटिंग क्रेनों के मौजूदा किराया प्रभार का कोई विस्तृत लागत ब्योरा नहीं दिया गया है।

(v). उपर्युक्त स्थिति के आलोक में, यह प्राधिकरण वर्तमान किराया प्रभार में शामिल लागत घटकों का विस्तृत विश्लेषण किए बिना इस अवस्था में वर्तमान दरमान में निर्धारित समयोपरि प्रभारों में संशोधन के लिए वीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं है।

(vi). अलग–से समयोपरि प्रभारों की वसूली उपयुक्त व्यवस्था प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि किसी भी मामले में मूल प्रभार विस्तारित कार्य–समय के लिए भी वसूल किए जाते हैं। अतः फ्लोटिंग क्रेन के प्रचालन के लिए समयोपरि पर तैनात स्टाफ के लिए समयोपरि प्रभार निर्धारित करने वाली अनुसूची 5.1. फ्लोटिंग क्रेन प्रभार में अनुसूची 5.1.2. के अधीन वर्तमान टिप्पणी सं. 8 हटाई जाती है।

इससे पत्तन पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वीपीटी द्वारा देय समयोपरि प्रभार पिछले सामान्य संशोधन के समय सुविचारित लागत अनुमानों में लगभग रू0 3 लाख प्रति वर्ष का अनुमान लगाया गया था।

9.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण फ्लोटिंग क्रेन के प्रचालन के लिए समयोपरि पर तैनात स्टाफ के लिए समयोपरि प्रभारों की वसूली में संशोधन के लिए वीपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव खारिज़ करता है।

9.2. वीपीटी के वर्तमान दरमान में खंड 5 – क्रॉफ्ट/उपस्कर के किराया प्रभार में, अनुसूची 5.1. फ्लोटिंग क्रेन प्रभार में, अनुसूची 5.1.2. के अधीन टिप्पणी सं. 8 हटाई जाती है।

(अ. ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष